

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरौही  
(पीठासीन अधिकारी: के.आर.खौड, आर.ए.एस.)

**अपीलार्थी**

खेताराम पुत्र प्रागाजी, जाति- मेघवाल, निवासी- सिलदर, तहसील व जिला-सिरौही

बनाम

**प्रत्यर्थी**

राजस्थान राज्य जरिये उप तहसीलदार, कालन्दी, तहसील व जिला-सिरौही

राजस्व अपील संख्या: 10/2022

“अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956”

**उपस्थिति:**

1. अधिवक्ता श्री राजेन्द्र पुरी, अपीलार्थी की ओर से
2. परोकार सरकार, प्रत्यर्थी की ओर से

—: निर्णय :-

दिनांक 15 फरवरी, 2023

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं। अपीलार्थी की ओर से यह अपील उप तहसीलदार, कालन्दी द्वारा प्रकरण संख्या 265/2022 में पारित निर्णय दिनांक 21.3.2022 से व्यथित होकर प्रत्यर्थी के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

(2) प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी को सम्मन जारी किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अपील की सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी की ओर से परोकार सरकार द्वारा उपस्थिति दी गई।

(3) बहस सुनी गई। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री पुरी ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरित है। हल्का पटवारी, सिलदर द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो कार्यवाही प्रस्तुत की गई उसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हल्का पटवारी, सिलदर के बयान कलमबद्ध नहीं किये हैं एवं न ही हल्का पटवारी, सिलदर अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुये। ऐसी स्थिति में, अधीनस्थ न्यायालय को आदेश 9 नियम 8 सी.पी.सी. के तहत खारिज करना चाहिये था, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने स्वयं पक्षकार बनते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो विधि विरुद्ध है। हल्का पटवारी, सिलदर द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत कार्यवाही/प्रकरण को साबित करने का दायित्व भी हल्का पटवारी, सिलदर का था, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन प्रकरण में हल्का पटवारी, सिलदर के बयानों से जिरह का अवसर दिये बिना ही हल्का पटवारी, सिलदर की रिपोर्ट के आधार पर निर्णय पारित किया है जो विधि सम्मत नहीं है। यह कि ग्राम सिलदर के खरा संख्या 1199 रकबा 0.29 हेक्टेयर एवं खसरा संख्या 1201 रकबा 0.04 हेक्टेयर बिलानाम भूमि आई हुई है उक्त बिलानाम सरकारी भूमि पर अपीलार्थी के बाप दादाओं के समय से पिछले 50-60 वर्षों से कब्जा यथावत रूप से चला आ रहा है एवं मौके पर काबिज है। अपीलार्थी ने काफी रकम खर्च कर उक्त भूमि पर चार दिवारी का निर्माण करवाया है ताकि बरसाती फसल की सुरक्षा की जा सके एवं भूमि को कृषि योग्य उपजाऊ बनाया है। अपीलार्थी का विवादित भूमि पर पुराना कब्जा होने से राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी परिपत्रों के अनुसार अपीलार्थी विवादित भूमि को नियमन/आवंटन कराने की पात्रता रखता है। इस हेतु अपीलार्थी ने प्रशासन गांव के संग अभियान के दौरान विवादित भूमि का नियमन/आवंटन कराने हेतु आवेदन दिये, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई। अतः अपीलार्थी की अपील को स्वीकार किया



अति. जिला कलक्टर  
सिरौही (राज.)

जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 21.3.2022 को निरस्त किया जावे। जबकि विद्वान परोकार सरकार ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि हल्का पटवारी, सिलदर द्वारा संवत 2078 में अपीलार्थी के विरुद्ध ग्राम सिलदर, पटवार हल्का सिलदर के खसरा संख्या 1119 व 1201 रकबा क्रमशः 0.29 हेक्टेयर व 0.04 हेक्टेयर किस्म क्रमशः बा 2 व कातरा पर परकोटा निर्माण कर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत करने पर नियमानुसार प्रकरण दर्ज किया जाकर अपीलार्थी को नोटिस जारी किया गया। जिस पर अपीलार्थी की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी के अधिवक्ता उपस्थित हुये एवं जवाब प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन प्रकरण में अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर देते हुए बाद जांच विधि सम्मत निर्णय पारित किया है, इसलिये अपीलार्थी की अपील को खारिज किया जावे।

(4) हमने सुनी गई बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि हल्का पटवारी, सिलदर द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध संवत 2078 में ग्राम सिलदर के खसरा संख्या 1199 रकबा 0.29 हेक्टेयर किस्म बारानी 2 एवं खसरा संख्या 1201 रकबा 0.04 हेक्टेयर किस्म कातरा भूमि पर परकोटा निर्माण कर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार, कालन्द्री में प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी के विरुद्ध प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलार्थी को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने उपस्थित होकर लिखित जवाब प्रस्तुत किया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि राजस्व रेकॉर्ड में ग्राम सिलदर, पटवार हल्का सिलदर के खसरा संख्या 1199 रकबा 0.29 हेक्टेयर किस्म बारानी 2 एवं खसरा संख्या 1201 रकबा 0.04 हेक्टेयर किस्म कातरा राजकीय बिलानाम भूमि दर्ज है एवं अपीलार्थी द्वारा राजकीय बिलानाम भूमि पर अतिक्रमण कर कब्जा व परकोटा निर्माण किया गया है। ऐसी स्थिति में, अपीलार्थी की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

अतः अपीलार्थी की अपील को खारिज किया जाता है। निर्णय सुनाया गया।



(के.आर.खौड)  
अतिरिक्त जिला कलेक्टर  
सिकरोही